

निवादा

बनाम

रेशा कौराह

आदेशिका

हस्ता

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश-1 नियम-10 धारा 151 खीकार किया जासाई वकील वादी संबंधित शीर्षक पेश करे। एवं संबंधित प्रतिवादी के सम्मन 3 दिन में रजिस्टर्ड AD से भेजने बाबत टर्न हर्ज सहित पेश करे पेश होने पर जारी हो प्रतिवादी स. 6 7 10 12 14 के सभी पते ज्ञात कर अभी तक सम्मन पेश नही किये गये हैं 3 दिन में सम्मन टर्न हर्ज सहित पेश करे पेश होने पर जारी हो पत्रावली दिनांक 29/7/19 को पेश हो।

29/7/19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकार उपस्थित थे अधिवक्ता वादी द्वारा संबंधित शीर्षक पेश किया जिसकी उर्फ वकील प्रतिवादी को दिनांक का 22 शक्ति पत्रावली हो। अधिवक्ता वादी द्वारा स. 6 7 10 12 14 के सम्मन पेश किये जा जारी हैं। एवं रजिस्टर्ड AD से भेजे जाये। पत्रावली दिनांक 25-9-2019 को पेश हो।

25/9/19 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी निर्वाचन कार्य (र. 11.19) में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 18.11.19 को पेश हो।

18/11/19 पत्रावली पेश हुई न्यायालय समय में वाट-वाट प्रार्थना लक्ष्य गर्भ परन्तु वादी क उमरे अधिवक्ता कोई आश्रित नही हुए। लिहाज प्रकरण ऊपर पेशी। ऊपर क्षत्री में स्वारीज किया जात है पत्रावली फेरुल सुनात हो कर जम्बट से भेजे हैं। निर्णय सुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपस्थित
वादी
न होकर
ली
रुओ
मन भंज
पेश हो।
0.1
पेश
30/5/19
उपस्थित
ली फ
वादी
उपस्थित
होने पर
वाक हंडु
0.05
जाता है
वादी
लेख
हो 0.6
पेश करके
कतिपय
18/7/19

वादी
7 10 12 14 के
न रजिस्टर्ड
3 दिवस में
सपठित द्वारा
ना देकर सीधी
वादी को बहस सुनी